



Neutral Citation No-2026:AHC:8424

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 43 वर्ष 2026

अविनाश और 2 अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आनंद कुमार चौरसिया, शशि भूषण मिश्रा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रमेश चंद्र द्विवेदी

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ताओं ने अपील संख्या-495/2007-2008 में चकबंदी के निपटान अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 08.10.2025 और 13.10.2025 के आदेश का उल्लंघन करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान किया है।
3. निजी प्रतिपक्षी संख्या-5 के अधिवक्ता ने चकबंदी के निपटान अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 08.10.2025 के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण के लंबित होने के कारण प्रस्तुत रिट याचिका की रखरखाव के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई है।
4. अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि समेकन के निपटान अधिकारी ने दिनांक 08.10.2025 के आदेश के माध्यम से अपील दायर करने में 5,000/- रुपये की लागत पर देरी को माफ कर दिया है और सुनवाई की तारीख तय की है। इसके बाद, दिनांक 13.10.2025 के आदेश द्वारा, उन्होंने अपीलकर्ता के पक्ष में अंतरिम आदेश दिया है। जब इसका सामना किया गया, तो याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने दिनांक 08.10.2025 के विलंब माफी आदेश के पुनरीक्षण के लंबित होने को स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत अपील को निर्धारित सीमा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अवधि के भीतर दायर करने के लिए माना गया है। इसलिए, मेरी सुविचारित राय में, जबकि चकबंदी के निपटान अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 08.10.2025 के आदेश की वैधता और वैधता की जांच करने के लिए चकबंदी के उप निदेशक के साथ मामला जब्त है, उक्त आदेश दिनांक 08.10.2025 के खिलाफ प्रस्तुत रिट याचिका पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है।

5. इस विवेचन में, जैसा कि उपर्युक्त है, प्रस्तुत रिट याचिका को अनुरक्षणीयता के आधार पर **खारिज** किया जाता है।

6. मामले को अलग करने से पहले, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने दिनांक 08.10.2025 के आदेश के खिलाफ चकबंदी के उपनिदेशक के समक्ष लंबित पुनरीक्षण के शीघ्र निपटान का आग्रह किया है।

7. स्थायी अधिवक्ता के साथ-साथ निजी प्रतिपक्षी संख्या-5 के अधिवक्ता को पुनरीक्षण के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है।

8. इस प्रकार, चकबंदी के उप निदेशक, जिनके समक्ष दिनांक 08.10.2025 के आदेश के खिलाफ संशोधन लंबित है, को निर्देश दिया जाता है कि वे जल्द से जल्द इस पर शीघ्रता से निर्णय लेने का प्रयास करें।

जनवरी 13, 2026

विनय

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)